

२५^{०४}/_{२५}

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पेंरोकार सरकार
उपस्थित। मूल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जा चुका है। जिससे उक्त T.1. प्रार्थना
पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य
नहीं रह जाता है। लिहाजा उक्त T.1. प्रार्थना
पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नंबर से कम हो।



3
सहायक कलक्टर एवं सदन
उपस्थित अधिकारी, बाली